कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक,
मध्यप्रदेश

क्रमांक 2749 / तकनीकी / 2004 / मु.स. /   भोपाल, दिनांक 26.08.2004

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक,
मध्यप्रदेश

विषयः विभिन्न शासकीय / अर्द्धशासकीय / नगरीय निकाय कार्यालयों द्वारा शासन को पहुंचाई जा रही पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क की गंभीर क्षति रोकने बावत्।

संदर्भः मुख्य सचिव महोदय का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 242 / मु.स. / वा.कर / 04, दिनांक 16.08. 2004

---00---

कृपया उक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है। पत्र के द्वारा मुख्य सचिव महोदय द्वारा संलग्न परिशिष्ट– 1 में उल्लिखित विभागों में हो रहे अपवंचन का स्वरूप बताते हुए निर्देश प्रदान किए गए हैं कि संबंधित विभाग विगत् 5 वर्षों में उनके कार्यक्षेत्र अंतर्गत भारतीय स्टाम्प अधिनियम एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत हुई अनियमितताओं की जांच कराएं तथा उल्लंघन जानबूझकर किया जाना पाया जाये, उनमें संबंधित के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य सचिव महोदय के निर्देशों के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित कराएं तथा प्रत्येक विभाग के कार्यक्षेत्र में विगत 5 वर्षों में हुई अनियमितताओं की जानकारी प्राप्त कर दिनांक 15.9.2004 के पूर्व भिजवायें। तत्पश्चात् प्रतिमाह इन निर्देशों के उल्लंघन के विषय में प्रतिवेदन आगामी माह की 10 तारीख तक इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। प्रतिवेदन में अनियमितताओं से संबंधित कार्यालय के नाम के साथ–साथ, अनियमितता के लिए जिम्मेदार अधिकारी का नाम तथा इसके फलस्वरूप हुई राजस्व की हानि की राशि का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाये।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

महानिरीक्षक पंजीयन

मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 2750 / तकनीकी / 2004 / मु.स. /   भोपाल, दिनांक 26.08.2004

प्रतिलिपिः

समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक पंजीयन

मध्यप्रदेश

संलग्न–

कार्यालय : **2441370**

: 2441848

निवास : 2571241

Government of Madhya Pradesh

Vallabh Bhavan, Bhopal-462004

बी. के. साहा

मुख्य सचिव

Chief Secretary

अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 242/मु.सं./वा.कर/2004

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त, 04

विषय : विभिन्न शासकीय/अर्द्धशासकीय/नगरीय निकाय कार्यालयों द्वारा शासन को पहुंचाई जा रही पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क की गंभीर क्षति रोकने बावत्।

प्रिय सुश्री/श्री

मुद्रांकों के विक्रय एवं दस्तावेजों के पंजीयन से प्रापत आय राज्य के राजस्व का एक प्रमुख स्त्रोत है। वर्ष 2003–04 अंतर्गत मुद्राकों के विक्रय एवं पंजीयन शुल्क से प्रदेश को रूपये 615.70 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है तथा वर्ष 2004–05 के लिये आय का लक्ष्य रूपये 678 करोड़ रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति सभी शासकीय विभागों का सहयोग आवश्यक है।

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत लोक कार्यालय के भार साधक अधिकारी के विशिष्ट दायित्व निहित हैं। सभी शासकीय कार्यालयों के प्रमुख लोक कार्यालय के भारत साधक अधिकारी भी होते हैं। इस अधिनियम की धारा 35 अंतर्गत लोक कार्यालयों के भार साधक अधिकारी से अपेक्षित है कि वह अपर्याप्त मुद्रांकित दस्तावेज, उसके समक्ष प्रस्तुत होने पर उसे, परिबद्ध (Impound) कर कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस को उचित रूप से मुद्रांकित करने हेतु प्रस्तुत करेगा। अपर्याप्त मुद्रांकित दस्तावेज के आधार पर किसी भी कार्यालय द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती है तथा न ही उसकी न्यायालय में साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपर्याप्त मुद्रांकित दस्तावेज ग्रहण करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही कर उन्हें दंडित करने का भी प्रावधान है।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 अंतर्गत 100/— रूपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति के बिक्रीपत्र तथा वार्षिक अथवा 12 माह से अधिक अवधि के पट्टों का पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। इस अधिनियम की धारा 49 अंतर्गत अनिवार्यतः रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों का पंजीयन नहीं होने पर उन्हें साक्ष्य में ग्राह्य नहीं करने का प्रावधान है।

3. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा कुछ विभागों के शासकीय अधिकारियों द्वारा उपयुक्त कार्यवाही नहीं करने के कारण हो रहे राजस्व अपवंचन की कार्यवाही नहीं करने के कारण हो रहे राजस्व अपवंचन की कार्यवाही की जानकारी (परिशिष्ट—1) संकलित की है। इस जानकारी से स्पष्ट होगा कि अनेक विभागों के अधिकारी भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्रावधानों का उल्लंघन कर शासकीय राजस्व की क्षति पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार के मामलों में न सिर्फ उक्त अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है, बल्कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 62 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही भी की जानी चाहिए।

4. अतः सभी संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त विगत 5 वर्षों में उनके कार्यक्षेत्र अंतर्गत उक्त अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन की जांच भी कराई जाए एवं दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। जिन प्रकरणों में ऐसा उल्लंघन जानबूझकर किया गया हो, उनमें महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक, मुद्रांक से समन्वय कर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 62 अंतर्गत अभियोजन हेतु प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही भी की जाए।

भवदीय

(बी.के. साहा)

सुश्री / श्री

प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन

...विभाग,

मंत्रालय, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक / बी–7(बी)25 / 2004 / बा.कर / 5 भोपाल दिनांक 16 अगस्त, 2004

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
2. संभागीय आयुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश
3. विभागाध्यक्ष (समस्त संबंधित) मध्यप्रदेश
4. जिलाध्यक्ष (समस्त) मध्यप्रदेश

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्यिक कर विभाग

विभिन्न विभागों के अंतर्गत स्टाम्प/पंजीयन अधिनियमों के उल्लंघन के विवरण

स. क्र.	विभाग का नाम	लोक कार्यालय के भार साधक अधिकारी का पदनाम	वह गतिविधि जिसके तहत् स्टाम्प शुल्क/पंजीयन शुल्क का अपवंचन होता है
1.	2.	3.	4.
1.	नगरीय प्रशासन विभाग	आयुक्त नगर निगम/नगरपालिका अधिकारी	1. नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत की अनेक संपत्तियों के विक्रय पत्र/पट्टे निष्पादित एवं पंजीबद्ध नहीं किए जाते हैं। 2. अर्याप्त मुद्रांकित/अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर सम्पत्ति कर पंजी में नामांतरण दर्ज किए जाते हैं। 3. कालोईजर्स/गृह निर्माण सहकारी समितियों के अपंजीकृत एवं अस्टाम्पित बंधक विलेख स्वीकार किए जाते हैं।
2.	खाद्य विभाग	खाद्य अधिकारी	स्वत्व के अपर्याप्त मुद्रांकित/अपंजीकृत दस्तावेजो के आधार पर दर्ज व्यवसाय स्थल पर भी खाद्य लाईसेन्स प्रदान किए जाते हैं।
3.	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	1. जिला महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक एस.आई.डी. सी. एवं उद्योग केन्द्र 2. रजिस्ट्रार/ सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी	1. सम्पत्ति के अंतरण में अर्याप्त मुद्रांकित/ अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर प्रतिष्ठानों/कार्यरत उद्योगों का पंजीयन करना। 2. स्टेट इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा विक्रय के कब्जे सहित अनुबंध पत्रों का पंजीयन नहीं कराना तथा उन्हें सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं करना। स्वत्व से संबंधित अर्याप्त मुद्रांकित/अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर कार्यस्थल पर भी संस्थाओं /समितियों का पंजीयन करना एवं पंजीयन अभिलेख में ऐसा अंतरण दर्ज करना।
4.	वाणिज्यिक कर विभाग	वाणिज्यिक कर अधिकारी/वाणिज्यिक कर निरीक्षक	1. स्वत्व के अपर्याप्त मुद्रांकित /अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर दर्ज व्यवसाय स्थल पर भी व्यवसायी का पंजीयन करना। 2. बकाया वसूली हेतु नीलाम की गई सम्पत्ति के विक्रय प्रमाण पत्रों को बिना स्टाम्प लगाये जारी करना।

5.	राजस्व विभाग	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	1. स्वत्व के अर्याप्त मुद्रांकित/अपंजीकृत दस्तोवजों के आधार पर नामांतरण करना। 2. स्वत्व के अर्याप्त मुद्रांकित/अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर सोलवेन्सी सर्टिफिकेट जारी करना। 3. बकाया वसूली हेतु नीलाम कीह गई संपत्ति के विक्रय प्रमाण पत्रों को बिना स्टाम्प लगाये जारी करना।
6.	स्कूल शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति विभाग कल्याण	जिला शिक्षा अधिकारी/ जिला संयोजक अनु. जनजाति/अनु. जाति कल्याण विभाग	स्वत्व के अपर्याप्त मुद्रांकित/अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर दर्ज कार्य स्थल पर भी शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना तथा ऐसी संस्थाओं को अनुदान प्रदान करना।
7.	महिला बाल विकास विभाग/अनुसूचित जाति एवं अनु. जनजाति विभाग	संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी	अपर्याप्त मुद्रांकित/अपंजीकृत दस्तावेजों द्वारा अंतरित अचल सम्पत्ति पर स्थिति स्वैच्छिक संस्थाओ को अनुदान प्रदान करना।
8.	लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण/ यांत्रिकी विभाग/ लोक निर्माण विभाग/ जल संसाधन विभाग	कार्यपालन यंत्री/ सहायकयंत्री	1. अर्याप्त मुद्रांकित/अंपजीकृत दस्तोवजो द्वारा अंतरित सम्पत्ति के आधार पर ठेकेदारों की सोलवेंसी का निर्धारण कर उनका पंजीयन करना। 2. बी.ओ.टी. योजना के अंतर्गत टोल वसूली के पट्टों पर स्टाम्प शुल्क भुगतान नहीं कराना।
9.	खनिज विभाग	खनिज अधिकरी	1. खनिज पट्टों में विगत वर्षों की औसत रायल्टी से अत्यंत कम रायल्टी का उल्लेख कर, लीज डीड निष्पादित करना जिससे कम स्टाम्प शुल्क लगे। 2. प्रीमियम को रेन्ट मानकर स्टाम्प शुल्क भुगतान करवाना। 3. पट्टों का पंजीयन नहीं कराना।

10.	आवास एवं पर्यावरण विभाग	गृह निर्माण मण्डल/ विकास प्राधिकरण	1. पट्टों का अवधि पूर्ण होने पर भी नवीनीकरण दस्तावेज निष्पादित नहीं करना। 2. शासन से प्राप्त भूमियों के दस्तोवेजों का पंजीयपन नहीं कराना, विगत् वर्षों में इन अंतराणों का पंजीयन नहीं कराने से करोड़ों रूपये के राजस्व का अपवंचन हुआ है। 3. सम्पत्ति विक्रय/अंतरण की पूर्ण राशि प्राप्त होने के बाद भी अनेक वर्षों तक विक्रय/पट्टे के दस्तावेजों का पंजीयन नही कराना। 4. आवंटन एवं रजिस्ट्री की अवधि के बीच में अचल सम्पत्ति में नये आवंटी का नाम जोड़ना। इससे एक अंतरण से प्राप्त होने वाली स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि का अपवंचन होता है।
11.	पंचायत विभाग	जिला पंचायत जनपद पंचायत के कार्यपालन अधिकारी/सचिव ग्राम पंचायत	1. गौण खनिज के पट्टों की रजिस्ट्री नहीं करना तथा अपर्याप्त स्टाम्प शुल्क भुगतान कराना। 2. पंचायत द्वारा अंतरति सम्पत्ति की रजिस्ट्री नहीं करना।
12.	कृषि विभाग	मंडी कार्यालयों के सचिव	मंडी की दुकानो/भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं कराना। मंडी की सम्पत्ति अंतरण के दस्तावेजों में प्रीमियम की राशि को वापिसी योग्य जमा दर्शाकर राजस्व अपवंचन में सहयोग करना।
13.	स्वास्थ्य विभाग	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	रोगी कल्याण समितियों की सम्पत्ति की रजिस्ट्री नहीं कराना।
14.	सहकारिता विभाग	प्रबंधक सहकारी बैंक	बकाया वसूली हेतु नीलाम की गई सम्पत्ति के विक्रय प्रमाण पत्रों को बिना स्टाम्प लगाये जारी करना।
15.	वित्त विभाग	महा प्रबंधक एवं जिला महा प्रबंधक म.प्र. वित्त निगम	म.प्र. वित्त निगम की धारा 21 के अंतर्गत अधिग्रहित सम्पत्ति के विक्रय के कब्जा सहित अनुबंध पत्रों पर प्रभार्य हस्तांतरण पत्र का शुल्क नहीं चुकाया जाना तथा इनका पंजीयन नहीं कराया जाना।